

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

कमांक प0 12(3) राज/वाद/99,पार्ट

जयपुर दिनांक 13/12/22

:: आदेश ::


माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत होने वाले दीवानी प्रकरणों में राज्य सरकार की ओर से पैरवी किये जाने हेतु निम्नांकित अतिरिक्त महाधिवक्तागण को उनके नाम के सम्मुख अंकित विभागों का आवंटन किया जाता है:-

S.No.	Name	Departments
1	2	3
1	Shri Sandeep Shah	Department of Personel (DOP)
2	Shri Sudhir Tak	Pension, CAD

३०
(प्रवीर भटनागर)
प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव/विशेषाधिकारी (जीएसवाई), माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष/सचिवालय के समस्त विभाग।
5. निजी सचिव, विद्वान महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ जयपुर।
6. समस्त अति. महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
7. गवर्नमेंट काउन्सिल, जोधपुर।
8. संबंधित अतिरिक्त महाधिवक्ता।
9. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, राज0 जयपुर को राज पत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
10. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
11. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
12. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
13. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
14. सचिव, राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर।
15. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ/संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी।
16. कोषाधिकारी, जोधपुर।
17. लेखा शाखा, विधि (वादकरण) विभाग।
18. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
19. रक्षित पत्रावली।


(हिमाकंती गौड़)
विशिष्ट शासन सचिव